

in

Group B
Service Rule
Group - B

परिशिष्ट क
(वेष्टिण नियम 3)

पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
	स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5
सहायक निदेशक	..	4	4	2,000—60—2,300—75—2,900 ₹ बी०—100—3,500

परिशिष्ट छ

(वेष्टिण नियम 7)

पद का नाम	संशोधनकर्ता तथा स्वाभाविक/प्रतिनिधित्वित द्वारा अर्जों के लिए शैक्षिक अर्हताएँ तथा अनुभव, यदि कोई हो	एवेन्यु नं० द्वारा नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएँ तथा अनुभव, यदि कोई हो
-----------	--	---

1	2	3
सहायक निदेशक	1. माध्यम प्राप्ति विश्वविद्यालय से इतिहास में द्वितीय श्रेणी में एम० ए० । 2. अभिलेख अभिरक्षण में डिप्लोमा । 3. अभिलेखीय कार्य से सम्बन्धित किसी सरकारी विभाग/विश्वविद्यालय या संस्थान में तीन वर्ष का अभिलेखीय कार्य का अनुभव परन्तु सहायक अभिलेखपाल या उसके समतुल्य पद के पदेनमान से कम पद पर न हो । 4. मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	1. माध्यम प्राप्ति विश्वविद्यालय से इतिहास में एम० ए० । 2. अभिलेख अभिरक्षण में डिप्लोमा । 3. अभिलेखागार विभाग में अभिलेखपाल के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; या सहायक अभिलेखपाल के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्त्रियों का स्वरूप	रम्भ अधिकारी	अपील अधिकारी	द्वितीय तथा प्रथम अपील अधिकारी
1	2	3	4	5	6
सहायक निदेशक	सरकार	1. छोटी शास्त्रियाँ : (i) वैयक्तिक फाईल (आवरण वाली) पर प्रति रखते हुए वेताबनी ; (ii) परिमिता ; (iii) पदोन्नति योजना ;			

1	2	3	4	5	6
		(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा पेशगीव सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कंपनी तथा संगम तथा व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित को या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संगम या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;	निदेशक	प्रशासकीय सचिव	सरकार
		(v) वेतन वृद्धियाँ रोकना ;			
		2. बड़ी शास्तियाँ :			
		(vi) किसी विनिश्चित अवधि के लिए समयमान में निरन्तर प्रक्रम पर अवसति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवसति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवसति उसकी भावी वेतन वृद्धियाँ स्थापित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;			

(vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवस्थिति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह शायदत किया गया था पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा, जिस ग्रेड अवस्था पद सेवा से सरकारी कर्मचारी शायदत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी प्रतिरिक्त निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा ;

प्रशासकीय सचिव सरकार

(viii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;

(ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरहता नहीं होगी ;

(x) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरहता होगी

परिशिष्ट-घ

[देखिए नियम 14 (2)]

पदनाम	अवैश का स्वतन्त्र	अवैश करने के लिए शक्य पराधिकार
1	2	3
<p>सहायक निदेशक (i) पेशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुसूच्य सामान्य/अतिरिक्त पेशन की राशी में कमी करना अवैश रोकना ।</p> <p>(ii) सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति को उसकी अविवशिता के लिए नियत अवधि के होने से अवैश नियुक्ति की सम्पत्ति ।</p>		सरकार

टी०डी० जोगपाल,

अध्यक्ष एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अभिलेखागार विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ARCHIVES DEPARTMENT

Notification

The 9th October, 1992

G.S.R.73/Const./Art.309/92.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Archives Department (Group B) Service, namely :—

PART I—GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Archives Department (Group B) Service Rules, 1992.

Short title.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

Definition.

- (a) "Administrative Secretary" means Secretary to Government, Haryana, in the Archives Department ;
- (b) "Commission" means the Haryana Public Service Commission ;
- (c) "Director" means the Director, Archives, Haryana ;
- (d) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or of any State Government ;
- (e) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;
- (f) "institution" means,—
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;
- (g) "recognised university" means,—
 - (i) any university incorporated by law in India ; or
 - (ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purposes of these rules ;

(k) "Service" means the Haryana Archives Department (Group B) Service .

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and
character of
posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality,
domicile and
character of
candidates
appointed to
Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri-Lanka, or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia, with the intention of permanently settling in India ;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government .

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution .

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than twenty-five years or more than thirty-five years of age, on the last of submission of application date to the Commission.

Age.

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Government.

Appointing authority.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 2 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and by transfer or deputation and those specified in column 3 of the aforesaid Appendix in the case of appointment by promotion :

Qualifications.

Provided that in case of direct recruitment the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50 percent at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped candidates, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,—

Disqualification.

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service in the case of Assistant Director shall be made,—

Method of recruitment.

- (i) 50% by promotion from amongst Archivist or Assistant Archivist ; and
- (ii) 50 per cent by direct recruitment ; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Probation.

Provided that—

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;
 - (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and
 - (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,
- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
 - (i) revert him to his former post ; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit .
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority, may,—
- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily if there is no permanent vacancy ; or
 - (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—
 - (i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit ; or

हरियाणा सरकार

अभिलेखानार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 अक्टूबर, 1992

संख्या सां०का०नि० 73/संविधान/अनुच्छेद 309/92.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा अभिलेखानार विभाग (ग्रुप "ख") सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग—I—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा अभिलेखानार विभाग (ग्रुप "ख") सेवा नियम, 1992, संक्षिप्त नाम।
कहे जा सकते हैं।

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

(क) "प्रशासकीय सचिव" से अभिप्राय है, अभिलेखानार विभाग में सचिव, हरियाणा सरकार ;

(ख) "प्रायोग" से अभिप्राय है हरियाणा लोक सेवा प्रायोग ;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, अभिलेखानार, हरियाणा ;

(घ) "सौधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में पदोन्नति द्वारा अथवा भारत सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ङ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(च) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(छ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई भी विश्वविद्यालय ; अथवा

- (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation ;

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years .

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service ;

Seniority.

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority .

Liability to serve.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,—

- (i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or University within the State of Haryana ;
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of the individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body ;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave,
pension and
other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the Competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline,
penalties and
appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of alle-
giance.

16. Every member of the Service, unless he has already done, so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of
relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special Provi-
sion.

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules, is hereby repealed :

Repeat and savings.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Designation of posts	Number of posts			Scale of pay
	Permanent	Tempo- rary	Total	
1	2	3	4	5
Assistant Director	—	4	4	Rs. 2,000—60—2,300—75—2,900— EB—100—3,500

APPENDIX B

[See rule 7]

Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment and appointment by transfer or deputation	Academic qualifications and experience, if any, for appointment by promotion
1	2	3
Assistant Director	<ol style="list-style-type: none"> 1. M.A., second division, in History from a recognised University 2. Diploma in Archives keeping 3. Three years, experience in archives work in a Government Department/University or any institution dealing with archives work but not less than the grade of Assistant Archivist or its equivalent 4. Knowledge of Hindi upto Matric Standard 	<ol style="list-style-type: none"> 1. M.A. in History from a recognised University. 2. Diploma in Archives keeping. 3. Three years, experience as an Archivist in the Archives Department ; or Five Years, experience as Assistant Archivist.

APPENDIX C

[See rule 14(1)]

Designation of post	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority
1	2	3	4	5	6
Assistant Director	Government	<p>(1) Minor Penalties</p> <p>(i) warning with a copy in the personal file (character roll) ;</p> <p>(ii) censure ;</p> <p>(iii) withholding of promotion ;</p> <p>(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and</p> <p>(v) withholding of increments of pay;</p> <p>(2) Major Penalties</p>	Director	Administrative Secretary	Government

- (vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;
- (vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;
- (viii) compulsory retirement;
- (ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;
- (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

Administrative Government
Secretary

APPENDIX D

[See rule 14(2)]

Designation of post	Nature of order	Authority empowered to make the order
1	2	3
Assistant Director	<p>(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ;</p> <p>(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.</p>	Government

T. D. JOGPAL,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Archives Department,
Chandigarh.

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पहले हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की बात में पंजाब, सिंध अथवा बांग्ला विधविद्यालय; अथवा

(iii) कोई अन्य विधविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विधविद्यालय घोषित किया गया हो;

(ज) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा प्रतिवेत्तागार विभाग (यू "ब") सेवा।

भाग-II

सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा
उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताए गए पद होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने अथवा विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किए
गए उम्मीदवारों
की राष्ट्रियता,
अधिवास और
चरित्र।

4. (1) सेवा में कोई भी व्यक्ति उस समय तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो:—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा चीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त राजराज्य (मूलपूर्व टंगानिका और जंजोबार), जाम्बिया, मलावी, जाम्बरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो;

परन्तु (ख), (घ), (ग) तथा (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रकरण का ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

4. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा किसी संस्था के, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से अति प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी नहीं, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से भली भाँति परिचित हों, जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयु को अथवा अन्य-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को पर्यवेक्षित वर्ष की आयु से कम अथवा पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती और स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 2 में तथा पदोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में परिशिष्ट ख के खाना 3 में उल्लिखित अर्हताएं और अनुभव न रखता हो :

योग्यताएं।

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में आयु के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक होन ही जायेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की भरने के लिए उपलब्ध न हों। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,—

अयोग्यताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्थीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुसृत है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो यह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी :

भर्ती का ढंग :

(1) महायुक्त निदेशक की दशा में,—

(i) 50 प्रतिशत अविलेखापालों या महायुक्त अविलेखापालों में से पदोन्नति द्वारा ;
तथा

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियाँ, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति का हकदार नहीं बनाएगी ।

परिबीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिबीक्षा पर रहेगा :

परन्तु,—

(क) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् किसी अनुरूप अथवा उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर बिताई गई कोई अवधि परिबीक्षा अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष या उच्चतर पद पर लिए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिबीक्षा अवधि की ओर गिनी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई भी अवधि परिबीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है परिबीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिबीक्षा अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य अथवा आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है तो उसको उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; अथवा

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति की शर्तों/नियमनों के अनुसार हो ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उस व्यक्ति का कार्य अवकाश आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो वह,—

(i) ऐसे व्यक्ति को यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; अथवा

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; अथवा

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; अथवा

(ख) यदि उसकी राय में उस का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया हो, उसे उससे पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति से कार्यवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार हो; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसा आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद उसके लगातार सेवा— ज्येष्ठता।
काल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता कम परिवर्तित नहीं किया जाएगा :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निश्चित की जाएगी :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पहली नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान ही तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान ही, तो आय में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का
वाचित्व ।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए बाध्य होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह नियमित हो अथवा नहीं, जिस का पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर किसी मगर नियम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी संगम अथवा व्यक्ति निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो, अथवा और-सरकारी निकाय ;

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार, किसी संगठन या निकाय में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा ।

13. बंशन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिन का इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय किसी विधि के अधीन अपनाए जा सकाए गए हों या बचा उसके बाद अपनाए जा बनाए जाएं ।

छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले ।

14. (1) अनुशासन, शास्त्रियों और अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर अथवा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियन्त्रित होंगे :

अनुशासन, शास्त्रियों और अपीलों ।

परन्तु ऐसी शास्त्रियों का स्वस्थ जो लगाई जा सकता है, ऐसी शास्त्रियां लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट 'घ' में विनिर्दिष्ट है ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष, अथवा साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे टीका लगवायेगा या पुनः टीका लगवायेगा ।

टीका लगवाना ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रतिविधि द्वारा अथवा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

राजनिष्ठा की शपथ ।

17. जहाँ सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में डील देना आवश्यक अथवा उचित हो, वहाँ वह कारण लिख कर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

डील देने की शक्ति ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष शर्तें और निबन्धन लगाना उचित समझे जो वह ऐसा कर सकता है ।

विशेष उपबन्ध ।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या संघों को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ;

आरक्षण ।

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरस्त तथा
व्याधति।

20. सेवा में लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुकूल कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरस्त किया जाता है ;

परन्तु इस प्रकार से निरस्त नियम के अधीन किया गया कोई आदेश या कोई कार्यवाई इन नियमों के अनुकूल उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाई समझी जाएगी।

Department Archives Department Star

Branch _____

File No. _____

Subject Meeting of the Administrative Sec

Date held under the chairmanship of

Previous Details	New Details

NO 2/6-2007-